

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(7) वित्त/राजस्व/2018

जयपुर, दिनांक— 01.08.2018

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को वर्ष 2013-14 एवं 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

वर्ष 2013-14

1. श्री अनिल कुमार लढ्ढा (सेवानिवृत्त दिनांक 31.05.2018)


वर्ष 2017-18

1. श्री ओम प्रकाश गोयल (दिनांक 31.07.2018 को सेवानिवृत्त)
2. श्री गंगाधर पाराशर
3. श्री रमेश राजपूत
4. श्री अचल सिंह पुरोहित
5. श्री यामिनी कान्त पण्ड्या (टीएसपी)
6. श्री रमेश कालरा
7. श्री महेश कुमार पारीक
8. श्री कैलाश चन्द शर्मा (दिनांक 31.05.2018 को सेवानिवृत्त)
9. श्री कृष्ण लाल शर्मा

पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-शासन सचिव, वित्त (राजस्व)